

2/8/2024

माना लाल

कैलाश

किसान लाल

पत्रावली देना हुई। वकील वादी उपस्थित
 वकील वादी द्वारा आवक ५ रु. व
 केवाई के बयान लिखे गये। वरु
 सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध
 इस्तंजे का अवरोधन किया गया।
 वाद वादी स्वीकार किया जाता है
 इस आदेश का आदेश अलग है
 किशन लाल पर दंडित कराया गया। पत्रावली
 के लिए श्रमार्ह होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
 पदेरा, जिला-चित्तौड़गढ़

